प्रेस नोटः-दिनॉक-24-07-2024
थाना अलापुर

▯ थाना अलापुर पुलिस को मिली बडी सफलता, जाली मुद्रा की तस्करी करने वाले 03 अभियुक्तगण माल के साथ गिरफ्तार।

डा0 बृजेश सिह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूँ के आदेशानुसार जनपद मे अपराध की रोकथाम एंव वाछिंत अभियुक्त की गिरफ्तारी एंव माल बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री अमित किशोर श्रीवास्तव पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशानुसार एवं श्री के0के0 तिवारी क्षेत्राधिकारी दातागंज के पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक श्री धनंजय सिंह थाना अलापुर पुलिस बल द्वारा आज दिनॉक 24-07-2024 को थाना अलापुर पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तगण 1.मनोज पुत्र गजेन्द्र सिंह नि0 ग्राम बजेडा थाना उसावां जनपद बदायूँ , 2.अभय गुप्ता पुत्र ब्रजेश गुप्ता नि0 वार्ड नं0 03 मो0 बजरिया कस्बा व थाना अलापुर जनपद बदायूँ, 3.गोविन्द उर्फ गौरव गुप्ता पुत्र मदनलाल गुप्ता नि0 वार्ड नं0 03 मो0 बजरिया कस्बा व थाना अलापुर जनपद बदायूँ को गिरफ्तार किया गया जिसके संबंध में स्थानीय थाना अलापुर पर मु0अ0सं0 334/2024 धारा 318(4),178,179,180 BNS पंजीकृत किया गया।

विवरण- दिनांक 22-07-2024 को मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि गौतरा तिराहे पर एक कार बैगनार खडी है जिसमें काली फिल्म लगी है। जिसमें तीन व्यक्ति बैठे है। जिनके पास जाली करैन्सी है यदि जल्दी की जाये तो पकडे जा सकते है मुखबिर खास की सूचना पर विश्वास करके प्रभारी निरीक्षक द्वारा टीम गठित कर मौके पर पहुँचकर दबिश दी गई तो उपरोक्त गाडी से तीन व्यक्ति 1.मनोज पुत्र गजेन्द्र सिंह , 2.अभय गुप्ता पुत्र ब्रजेश गुप्ता ,3.गोविन्द उर्फ गौरव गुप्ता पुत्र मदनलाल गुप्ता को हिरासत पुलिस मे लेकर थाना लाया गया। उपरोक्त सभी व्यक्तियो कडाई से पूछताछ की गई तो उपरोक्त सभी ने मिलकर बताया कि हम तीनो लोग तथा हमारा एक साथी रोबिन पुत्र जसवीर नि0 ग्राम बजेडा थाना उसांवा जनपद बदायूँ कुछ दिन पहले दिल्ली गये थे जहाँ हमे हरिद्वार के रहने वाला एक व्यक्ति जो अपना नाम भगत जी उर्फ नेता जी बता रहा था ने हमे 30 हजार असली रुपये के बदले एक लाख नकली रुपये दिलवाने की बात कही तो हम लोगो ने कुछ दिन पहले ही असली 30 हजार रुपयो से नकली एक लाख रुपये खरीदे तथा आपस मे बाँट लिये। सभी ने अपने अपने हिस्से के रुपये खर्च कर दिये है । उपरोक्त सभी लोगो से मात्र कुल 6400 रुपये नकली (27 नोट 200 के , 02 नोट 500 के) बरामद हुए है । जिसके संबंध मे अभियुक्तगण को उनके जुर्म धारा 318(4),178,179,180 BNS से अवगत कराते हुए नियमानुसार हिरासत पुलिस मे लिया गया तथा अभियुक्तगण 1.मनोज पुत्र गजेन्द्र सिंह 2.अभय गुप्ता पुत्र ब्रजेश गुप्ता , 3.गोविन्द उर्फ गौरव गुप्ता पुत्र मदनलाल गुप्ता , 4.रोबिन पुत्र जसवीर , 5. भगत जी उर्फ नेता जी पुत्र नामालूम नि0 हरिद्वार (उत्तराखण्ड) के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 334/2024 धारा 318(4),178,179,180 BNS पंजीकृत किया गया तथा गाडी वैगनार नं0 UP24BB8219 को अन्तर्गत धारा 207 एम0वी0 एक्ट मे सीज किया गया । अभियुक्तगणो के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु रवाना किया जा रहा है ।
गिरफ्तारी का स्थान दिनाँक व समय
गौतरा तिराहा कस्बा म्याऊँ दिनाँक 23.07.2024 समय करीब 23.50 बजे।
विवरण पूछताछ – गिरफ्तार उपरोक्त अभियुक्तगण से पूछताछ की गई तो सभी ने एक स्वर में ळगत कराया गया कि हम सभी लोग कुछ दिन पहले दिल्ली गये थे जहाँ हमे हरिद्वार के रहने वाला एक व्यक्ति जो अपना नाम भगतजी उर्फ नेता जी बता रहा था ने हमे 30 हजार असली रुपये के बदले एक लाख नकली रुपये दिलवाने की बात कही तो हम लोगो ने कुछ दिन पहले ही असली 30 हजार रुपयो से नकली एक लाख रुपये

खरीदे तथा आपस मे बाँट लिये । सभी ने अपने अपने हिस्से के रुपये खर्च कर दिये है तथा जो रुपये शेष बचे है वो आपने हमसे बरामद कर लिये है ।

अपराध करने का तरीका
अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा जाली मुद्रा की तस्करी करना ।

विवरण गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगण
1.मनोज पुत्र गजेन्द्र सिंह उम्र 20 वर्ष नि0 ग्राम बजेडा थाना उसावां जनपद बदायूँ
2.अभय गुप्ता पुत्र उम्र 21 वर्ष नि0 वार्ड नं0 03 मो0 बजरिया कस्बा व थाना अलापुर जनपद बदायूँ
3.गोविन्द उर्फ गौरव गुप्ता पुत्र मदनलाल गुप्ता उम्र 26 वर्ष नि0 वार्ड नं0 03 मो0 बजरिया कस्बा व थाना अलापुर जनपद बदायूँ ।

नाम पता वांछित अभियुक्तगणः-
1.रोबिन पुत्र जसवीर नि0 ग्राम बजेडा थाना उसांवा जनपद बदायूँ
2.भगत जी उर्फ नेता जी पुत्र नामालूम नि0 हरिद्वार (उत्तराखण्ड)
अभियुक्त मनोज उपरोक्त का आपराधिक इतिहास
मु0अ0सं0 334/2024 धारा 318(4),178,179,180 BNS
अभियुक्त अभय गुप्ता उपरोक्त का आपराधिक इतिहास
मु0अ0सं0 334/2024 धारा 318(4),178,179,180 BNS
अभियुक्त गोविन्द उर्फ गौरव गुप्ता उपरोक्त का आपराधिक इतिहास
मु0अ0सं0 334/2024 धारा 318(4),178,179,180 BNS
मु0अ0सं0 131/2022 धारा 306 IPC

विवरण बरामदगी
1. 200-200 रुपये के 27 नोट जाली करेन्सी कुल 5400 रूपये , 500-500 के 02 नोट जाली करेन्सी कुल 1000 रुपये (कुल 6400 रुपये जाली करेन्सी)
2. कुल 1250 रुपये असली करेन्सी
3.तीन अदद मोबाईल फोन 1. सैमसंग गलैक्सी A14 2. सैमसंग गलैक्सी Z FLIP3 3.आईफोन 7 प्लस APPLE मय सिम मय बैटरी
गिरफ्तार करने वाली थाना अलापुर पुलिस टीम
1.प्रभारी निरीक्षक श्री धनंजय सिंह थाना अलापुर बदायूँ
2.उ0नि0 राकेश सिंह चौहान थाना अलापुर बदायूँ
3.उ0नि0 लोकेन्द्र सिंह थाना अलापुर बदायूँ
4.हे0का0 201 रामबाबू थाना अलापुर बदायूँ
5.का0 1929 गोपाल त्यागी थाना अलापुर बदायूँ
6.का0 130 शहंशाह खान थाना अलापुर बदायूँ

सोशल मीडिया सैल,

जनपद बदायूं